राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18.9.09 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 18.9.09 को प्रातः 11.30 बजे हुआ जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त
2. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा.विभाग
4. प्रमुख शासन सचिव, सा0नि0 विभाग
5. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा

बैठक में एजेण्डा में सम्मिलित बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निम्न निर्णय लिये गये–

1 दिनांक 13.5.08 को जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के मद्देनजर राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में लाईफसेविंग उपकरणों की जरूरत को देखते हुए 36 वेन्टीलेटर्स हेतु 396.00 लाख की पूर्व में जारी स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।

2 **अभाव संवत 2065 में** वृद्ध, असहाय एवं निराश्रित बच्चों को भीषण अकाल के सन्दर्भ में सी.आर.एफ. नॉर्म्स् के अनुसार स्वीकृत 90 दिन की अवधि को 30 दिवस अधिक बढाये जाने के आदेश दिनांक 12.6.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

3 महासमादेष्टा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग की बाढ़ बचाव टीमों को प्रशिक्षित करने हेतु पूर्व में किये गये आवंटन रू. 9.88 लाख का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

4. अभाव संवत 2065 में घोषित अभावग्रस्त जिलों में आपातकालीन पेयजल परिवहन हेतु दिनांक 20.5.09 को जारी स्वीकृत आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

5. अभाव संवत 2065 में घोषित अभावग्रस्त जिलों के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में स्थित पंजीकृत गौशालाओं में संधारित सभी पशुओं के लिए गौशाला अनुदान के संबंध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 20.5.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

6. स्वाईन फ्लू के वायरस एच–1,एन–1 के परीक्षण के लिए उपकरण क्रय किए जाने हेतु 20.00 लाख रूपये आपदा राहत कोष से व्यय किए जाने की जारी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 28.8.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। साथ ही विभाग की मांग पर विचार कर रू0 20.00 लाख अतिरिक्त भी स्वीकृत किये गये । इस प्रकार अब कुल स्वीकृति 40.00 लाख रू0 हो गई है। आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।

II- <u>बचाव, राहत एवं संचार सामग्री का क्रय एवं स्वीकृतियां</u> :

1. जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रायः दुर्घटना होने पर जाम की स्थिति के सन्दर्भ में एक क्रेन क्रय किये जाने का प्रस्ताव को फिलहाल लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जोधपुर नगर निगम को एक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म (स्नोरगल) अनुमानित लागत 5 करोड़ रूपये एवं एक जीप फायर इंजन अनुमानित लागत 20.00 लाख रूपये के उपकरण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को फिलहाल लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

3. सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आई.सी.यू. के सुदृढ़िकरण, उपकरणों एवं दवाईयों हेतु तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्व चिकित्सालयो में आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुलभ कराने हेतु सर्वप्रथम 400 से 500 लाख रू0 की सीमा में प्रस्ताव भेजने का अनुरोध विभाग को किया जावे। इस सम्बन्ध में प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने हेतु प्रमुख शासन सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें प्रमुख शासन सचिव,मेडिकल शिक्षा तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता भी उपस्थित रहेंगे।यह प्रस्ताव 15 दिन में प्रस्तुत किए जाए। उक्तानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

4 दिनांक 27.2.09 की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों को एक–एक वाटर टेण्डर एवं एक–एक फोम टेण्डर तथा जयपुर संभागीय मुख्यालय को दो वाटर टेण्डर एवं दो फोम टेण्डर दिये जाने के निर्णय के सन्दर्भ में टेण्डर प्रक्रिया में बढ़ी हुई लागत की सीमा तक व्यय करने की स्वीकृति दी गयी। इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।

5. प्रत्येक जिले व पुलिस मुख्यालय में सेटेलाइट फोन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के सन्दर्भ में विचार कर 7 सेटेलाईट फोन सम्भागीय मुख्यालय पर आयुक्त को दिये जाने तथा 2 सेटेलाईट फोन गृह विभाग को दिये जाने का निर्णय लिया गया। इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।

6 भूकम्प से राज्य के महत्वपूर्ण भवन/संरचनाओं की भूकम्परोधी क्षमता संवर्धन करने के सन्दर्भ में राज्य में रेट्रोफिटिंग क्लिनिक की स्थापना हेतु राज्य के एम.बी.एम. इंन्जिनियरींग कॉलेज जोधपुर के 31.70 लाख रू0 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

7. जोधपुर ग्रामीण के लिए पृथक से इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।लेकिन आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

8 जिला कलक्टर, कोटा के आरएसी कोटा एवं नगर निगम कोटा के 16 आपदा प्रबन्धन कर्मियों को स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मन्जूरी दी गयी तथा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रशिक्षण नौसेना अथवा अन्य राजकीय एजेन्सी के माध्यम से ही क्रियान्वित कराये जाएं।

9. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा राज्य की 6 पटवार प्रशिक्षण शालाओं में नवचयनित 1600 पटवारियों को आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु रू0 25.3 लाख की परियोजना के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक सहमति दी गयी।

10. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के 12 जिलों में स्थित अग्निशमन केन्द्रों में से 5 जिले जहां अग्निशमन वाहन उपलब्ध नहीं हैं वहॉ उपलब्ध कराये जाने वाला अग्निशमन वाहनों की 25 प्रतिशत राशि सी.आर.एफ. मद से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को पत्रावली पर स्वीकति प्रदान किये जाने से अवगत कराया गया। इस निर्णय का कार्योतर अनुमोदन किया गया ।

11. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की पालना में राज्य आपदा प्रबन्धन योजना, जिला आपदा प्रबन्धन योजना व विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए किया जावे। इस हेतु निविदा जारी करने आदि सम्बन्धी कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

25/9/09

शासन सचिव